

श्रीमान् उप आवासन आयुव आवासीय अभियन्ता,	₹ (शहर 2021) ★ (शहर 100 km)
वृत्त / खण्ड—	•
राजस्थान आवासन मण्डल	
विषय:— मण्डल द्वारा आर्वी योजना	टेत वरियता क्रमांक/आवास/फ्लैट/भूखण्ड संख्या का पता परिवर्तित करने बाबत्।
महोदय,	
उपरोक्त विषयान्तर्ग	ति निवेदन है कि मेरे द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल की
	(योजना का नाम) में आवास/फ्लैट हेतु पंजीकरण करवाया गया।
जिसके तहत मूझे वरियता	क्रमांक/आवास/फ्लैट संख्या
	गयोजित लॉटरी द्वारा आवंटित हुआ है। अब मैं अपना पूर्व निवास
	त्य स्थान पर रहने लग गया/गयी हूं।
(***)	
अतः श्रीमान् जी से	निवेदन है कि मेरे वरियता क्रमांक/आवास/फ्लैट संख्या
	से सम्बंधित समस्त पत्र व्यवहार
निम्न पते पर करने का श्र	
1— आवेदक का नाम	
2— नया पता	
	भवदीय,
	()

संलग्न:-

- पंजीकरण/आवंटन पत्र की स्व सत्यापित छायां प्रति। 1-
- नये पते के साक्ष्य के सम्बन्ध में बिजली, पानी के बिल या अन्य साक्ष्य की स्व सत्यापित छायां प्रति।
- पहचान पत्र की स्व सत्यापित छायां प्रति। 3-